

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2022/

4705

दिनांक - 30/12/22

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 हीराराम पुत्र रायचन्द्रराम  
जाति जाट निवासी  
फूसाणियों का तला,  
जाखड़ों की ढाणी तहसील  
व जिला बाड़मेर।


1 गोमगिरी पुत्र जालूराम जाति स्वामी 2 कुम्भाराम 3  
जुंझाराम पिसरान गोमाराम 4 पूनमाराम पुत्र लालाराम 5  
सोनाराम पुत्र रावताराम 6 पुरखाराम पुत्र सोनाराम 7  
लाभूराम पुत्र शिवजीराम 8 पूनमाराम पुत्र मेशाराम 9  
सोनाराम पुत्र डूंगराराम जाति जाट निवासी सनावड़ा 10  
मगाराम पुत्र हीराराम 11 प्रभूराम पुत्र रायचन्द्रराम 12  
सालूराम 13 खीमाराम पिसरान विरधाराम 14 चोखाराम पुत्र  
खेराजराज 15 पोकराराम 16 केशाराम पिसरान जोगाराम 17  
हीराराम पुत्र नारणाराम जाति जाट निवासी फूसाणियों का  
तला 18 अणदाराम पुत्र मोतीराम 19 पूनमाराम पुत्र भीयाराम  
जाति जाट निवासी मूले का तला नांद तहसील व जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 250/2022

दिनांक- 20/12/22

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा फूसाणियों का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 193 रकबा 0.0567 हैक्टर, खसरा संख्या 214/179 रकबा 21.6506 हैक्टर तथा खसरा संख्या 257/194 रकबा 4.7672 हैक्टर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर


क्रमांक :- रीडर/2022/ 4706-09

दिनांक- 30/12/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जाखड़ों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. हीराराम पुत्र रायचन्द्रराम जाति जाट निवासी फूसाणियों का तला, जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी गोमगिरी पुत्र जालूराम वगैराह जाति स्वामी निवासी सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।



  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर